

BA Part III (H)

Paper V

Dr. Chiranjeev Kr Thakur

Assistant Professor (Hr)

Department of Sociology

VST College Raj Nagar

Lecture IV

नातेदारी (परिभाषा) →

शाबिन कोष के अनुसार " नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात् वास्तविक जन्मा काहित समरकता वाले व्यक्तियों के मध्य सम्बन्ध है।"

लेवी स्ट्राम के अनुसार " नातेदारी प्रणाली में जन्मा अर्थात् स्वतः सम्बन्धों को विद्यमान सूत्रों निमित्त नहीं होती है जो व्यक्ति को मिलती है, यह मानव चेतना में प्रियमान रहती है, यह विचारों को निरंकुश प्रणाली है वास्तविक परिस्थित का स्वतः विकास नहीं है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नातेदारी में जन्मा व्यक्तियों को सामीलित करती है जिनसे सम्बन्ध बंधावली के आधार पर होती है और बंधावली सम्बन्ध परिवार से पैदा होते हैं -

परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे सम्बंधी-जमी-समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी-कभी प्राणीशास्त्रीय रूप से सम्बंध न होने पर भी उन सम्बन्धी जमी-समाज ने स्वीकार लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं।

नातेदारी व्यवस्था के आधार  $\Rightarrow$

- 1) रक्त सम्बन्ध एवं विवाह सम्बन्ध इसके आधार होते हैं।
- 2) गाँव लिए गये-संतान भी इसके निर्माण के आधार हो सकते हैं।
- 3) नातेदारी सम्बन्ध सामाजिक मान्यताओं से सम्बन्धित हैं।
- 4) नातेदारी व्यवस्था की प्रकृति सभी समाजों में अलग-अलग हो सकती है।

ज्ञात: कदा-अ तबता है कि नातेदारी व्यवस्था रक्त-सम्बन्धी, विवाह सम्बन्धी और सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर हुई व्यवस्था है।